न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
जिला ग्वालियर

प्र. क्र. निगरानी/ /अध्यक्ष/2013–14/ R-1495-PBR/14

1. प्रीतमसिंह
2. ज्ञानसिंह पुत्र रम्मू उर्फ रामप्रसाद फौत वारिसान
   1– कमलसिंह
   2–पुरूषोत्तम
   3–संजय
   4–छोटू पुत्रगण स्व0श्री ज्ञानसिंह
   5–ममताबाइ
   6–अनिता पुत्रीगण स्व0श्री ज्ञानसिंह
3. धनपाल पुत्रगण रम्मू उर्म रामप्रसाद
4. भावसिंह
5. गंगाराम पुत्रगण केसरिया
6. दामोदर पुत्र कल्याणसिंह निवासीगण मोहनगढ़ तहसील भितरवार जिला ग्वा0 .....प्रार्थीगण

बनाम

1. बलराम
2. सुघरसिंह पुत्रगण हल्केराम बाथम निवासीगण मोहनगढ़ तहसील भितरवार जिला ग्वालियर म0प्र0 .....प्रतिप्रार्थीगण

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 623/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांकी 22.03.2014 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1495–पीबीआर/14 [प्रीतमसिंह/बलराम] जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–9–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 22–3–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि भूमिस्वामी भूरी की मृत्यु होने के उपरांत पटवारी द्वारा वारिसान के आधार पर नामांतरण पंजी तैयार की जाकर राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की गई है । पंजी पर जो सजरा अंकित किया गया है, उसमें हल्के को एक मात्र वारिस बतलाया गया है । उक्त सजरा ग्रामवासियों द्वारा प्रमाणित किया गया है, अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 20–6–84 को हल्के के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त आवेदकगण द्वारा लगभग 28 वर्ष पश्चात अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है, और लगभग 28 वर्षों तक आवेदकगण को नामांतरण आदेश की जानकारी नहीं होना विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	